



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

- :: अधिसूचना :: -

क्रमांक / 536 / गोप. / पु.मू. / 2017

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक / 522 / गोप. / पु.मू. / 2017 रायपुर, दिनांक 13 / 11 / 2017 के अनुक्रम में एल.एल.बी. भाग - एक (द्वितीय सेमेस्टर) तथा अधिसूचना क्रमांक / 518 / गोप. / पु.मू. / 2017 रायपुर, दिनांक 09 / 10 / 2017 के अनुक्रम में एल.एल.बी. भाग - दो (द्वितीय सेमेस्टर) के रुके / रोके हुए पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किए जाते हैं। परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। (www.prsu.ac.in)

एल.एल.बी. भाग - एक (द्वितीय सेमेस्टर)

जुलाई 2017

निम्नलिखित अनुक्रमांक के परीक्षार्थियों के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ :-

1652316.

एल.एल.बी. भाग - दो (द्वितीय सेमेस्टर)

जुलाई 2017

निम्नलिखित परीक्षार्थियों के परिणाम में परिवर्तन हुआ :-

अनुक्रमांक	छात्र का नाम	पूर्व परिणाम	परिवर्तित परिणाम
केन्द्र- दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर / एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर			
1534153	जयप्रकाश टंडन	अनुत्तीर्ण	उत्तीर्ण
केन्द्र- शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय बलौदाबाजार			
91534216	माधो प्रसाद जोशी	अनुत्तीर्ण	उत्तीर्ण

Checked
005

आदेशानुसार
कुलसचिव

पु.क्र. / 572 / गोप. / पु.मू. / 2017

रायपुर, दिनांक 01 / 12 / 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया-रायपुर।
3. संचालक, जनसंपर्क, छ.ग. की ओर प्रेषित, इस निवेदन के साथ कि कृपया इस अधिसूचना को समस्त समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहा., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहा., दुर्गा वि.वि. दुर्गा।
6. अध्यक्ष, संबंधित अध्ययन शाला / प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
8. वि.क.अधि., परीक्षा पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र (गोप.) पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
10. प्रभारी (वेबसाइट) विश्वविद्यालय कम्प्यूटर अध्ययन शाला, की ओर कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
11. विश्वविद्यालय सूचना पटल।

नोट :- पुनर्मूल्यांकन परिणाम के पश्चात् परीक्षार्थी 15 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकित उत्तरपत्रिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु प्रति उत्तरपत्रिका निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। छायाप्रति के अवलोकन के बाद यदि पुनर्मूल्यांकन प्राप्तियों से परीक्षार्थी असंतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है तो उत्तरपत्रिका की छायाप्रति प्राप्त के 15 दिनों के भीतर प्रति उत्तरपत्रिका निर्धारित पुनर्मूल्यांकन शुल्क वि.वि. में जमा करने की रसीद के साथ पुनः पुनर्मूल्यांकन हेतु कुलपति जी को संबोधित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को उत्तरपत्रिका का मूल्यांकन तीन सदस्यीय परीक्षकों के पैनल (जो वि.वि. क्षेत्राधिकार के बाहर के होंगे) से कराया जाएगा। पुनः पुनर्मूल्यांकन (पैनल) आवेदन करते ही छात्र के मूल प्राप्तांक एवं पुनर्मूल्यांकन अंक को निरस्त माना जावेगा। पुनः पुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक अंतिम प्राप्तांक होगा।

सहा. कुलसचिव (गोप.)